

पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०-02-09/2019-ज.सं.- 21

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना/मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डिल कम्पलेक्स/देवघर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 08/05/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों को पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० के कार्यान्वयन हेतु कुल रु. 9320.56 लाख (तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतादेश संख्या-81/16-17, दि०-20.01.17, 78/16-17, दि०-17.01.2017, 84/16-17, दि०-02.02.17, 45/18-19, दि०-01.01.19, 98/16-17, दि०-29.03.17, 04/16-17, दि०-12.04.16, 38/17-18, दि०-15.09.17, 29/17-18 दि० 31.07.17, 21/17-18, दि०-27.06.17, 97/16-17, दि०-29.03.17, 06/16-17, 12.04.16, 03/16-17, दि०-12.04.16, 20/17-18, दि०-27.06.17, 96/16-17, दि०-29.03.17, 05/17-18, दि०-24.04.17, 19/17-18, दि०-27.06.17, 67/16-17, दि०-15.12.16, 95/16-17, 29.03.17, 57/18-19, दि०-01.02.19/ 59/18-19, दि०-01.02.19 एवं 80/18-19, दि०-18.03.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र.	मौग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80-सामान्य/	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180796540545	9320.56

आवंटित राशि - ₹ तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र


- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि० 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 7-5-19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 21

राँची, दिनांक :- 08/05/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चक्रधरपुर/चाईबासा/सिमडेगा/गुमला/चाण्डिल/जमशेदपुर/घाटशिला/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 7-5-19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 21


राँची, दिनांक :- 08/05/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 7-5-19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक.....

दिनांक 08/05/19

का अनुमति

परिशिष्ट -1

मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई. आर. एम.

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अदातन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर SGHRR016	सैची	विजय सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य	81 / 16-17 प्र.स्ती, दिनांक-20.01.2017 Online AA-2167/26.01.17	2982.000	817.79	0.00	650.00	650.00	1467.79	20006	
		सैची	जेनासाई जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य हेतु	78 / 16-17 प्र.स्ती, दिनांक-17.01.2017 Online AA-2105/18.01.17	1866.000	878.19	0.00	400.00	400.00	1278.19	20008	
		सैची	सोनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य	84 / 16-17 प्र.स्ती, दिनांक-02.02.2017 Online AA-2290/09.02.17	1348.180	328.83	0.00	200.00	200.00	528.83	20010	
		सैची	ब्राह्मणी सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	45 / 18-19 प्र.स्ती, दिनांक-01.01.2019 Online AA-1746/02.01.19	1161.550	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	20012	
योग					0.00		1850.00	1850.00	3874.81			
2	जलपथ प्रमंडल, चार्डबासा (SGHRR008)	सैची	सोना सिंचाई (वीयर) योजना अन्तर्गत खरसावां शाखा नहर के कि0मी0 7.92 से 18.00 तक लाईनिंग कार्य	98/16-17 प्र.स्ती, दिनांक-29.03.2017 Online AA-2852/31.03.2017	1259.637	892.110	0.00	285.00	285.00	1177.11	20015	
		सैची	सेरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम) कार्य हेतु	04/16-17 प्र.स्ती, दिनांक -12.04.2016 Online A.A-2265/26.02.2018	6670.430	5047.670	0.00	1000.00	1000.00	6047.67	20018	
		सैची	तोरेलौ जलाशय योजना का पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य	38/17-18 प्र.स्ती, दिनांक-15.09.2017 Online A.A-1311/15.09.2017	5297.000	1003.950	0.00	900.00	900.00	1903.95	20019	
योग					0.00		2185.00	2185.00	9128.73			

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7-5-19

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन				योजना पर कुल अखत आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	जलपथ प्रमंडल, सैची (DRNMAR013)	सैची	हुनाओपा जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	29/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-31.07.2017 Online A.A-1052/02.08.2017	1274.714	632.290	0.00	450.00	450.00	1082.29	20021		
				योग		0.00	450.00	450.00	1082.29				
4	जलपथ प्रमंडल सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	सैची	चिन्दा जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	21/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-27.06.2017 Online AA-878/03.07.17	2294.000	1747.270	0.00	425.00	425.00	2172.27	20022		
				योग		0.00	425.00	425.00	2172.27				
5	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	सैची	जयपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई.आर.एम. कार्य	97/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-29.03.2017 Online A.A-2851/31.03.2017	279.200	233.940	0.00	32.81	32.81	266.75	20026		
		सैची	धनसिंह टोली जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य	06/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016 Online AA-145/13.04.16	2912.380	2560.930	0.00	351.00	351.00	2911.93	20028		
		सैची	कलशी जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य हेतु	03/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016 Online AA-129/12.04.16	9177.350	9008.560	0.00	168.00	168.00	9176.56	20029		
		सैची	खलवा वीयर सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनरुद्धार कार्य	20/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-27.06.2017 Online A.A-877/03.07.2017	1607.000	299.450	0.00	350.00	350.00	649.45	20031		
6	जलपथ प्रमंडल, सं०-2, बैनपुर, गुमला (GMLIRR008)	सैची	पुलझर सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई.आर.एम. कार्य	96/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-29.03.2017 Online A.A-2850/31.03.2017	1118.209	199.000	0.00	275.00	275.00	474.00	20032		
		योग				0.00	1176.81	1176.81	13478.69				
		सैची	मसरिया जलाशय योजना का डैम की मरम्मत, दैची एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए	05/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-24.04.2017 Online A.A-420/29.04.2017	1618.597	879.730	0.00	280.00	280.00	1159.73	20033		
		सैची	विशुनपुर वीयर योजना का दैची एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	19/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-27.06.2017 Online A.A-876/03.07.2017	1936.000	398.000	0.00	360.00	360.00	758.00	20034		
				योग		0.00	640.00	640.00	1917.73				

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7-5-19

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रू. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	असुवि
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	सुवर्णरेखा बाँध प्रमंडल सं.-2, चाण्डिल (SKLIRR028)	चाण्डिल	सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत पलना जलाशय योजना के पुनरुद्धार/ERM कार्य हेतु	67 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-15.12.2016 Online AA-1935/22.12.16	5758.810	3911.000	0.00	1765.73	1765.73	5676.73	20035	
						योग	0.00	1765.73	1765.73	5676.73		
8	लघु विनरणी प्र० सं०-10, घाटशिला (JSRIRR022)	चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत देशबाँध सिंचाई योजना के नहरों के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	95 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-29.03.2017 Online AA-2849/31.03.17	673.680	382.480	0.00	201.12	201.12	583.60	20038	
						योग	0.00	201.12	201.12	583.60		
9	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	कैराबनी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य	57 / 18-19 प्र.स्वी., दिनांक-01.02.2019 Online A.A-2021/05.02.19	1049.640	0.000	0.00	300.00	300.00	300.00	20039	
						योग	0.00	300.00	300.00	300.00	20040	
						योग	0.00	600.00	600.00	600.00		
10	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIRR011)	साँची	रैसा वीयर योजना का ई.आर.एम. कार्य।	80 / 18-19 प्र.स्वी., दिनांक-18.03.2019 Online A.A-2439/18.03.19	670.340	642.840	0.00	26.90	26.90	669.74	20041	
						योग	0.00	26.90	26.90	669.74		
						कुल योग	0.00	9320.56	9320.56	39184.59		

आवंटित राशि - ₹ तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह) 7.5.19
अपर मुख्य सचिव